संख्या-80/2024/756/22-2-2024-17(113)/2022

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 2024

विषयः- केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक कुमार पुत्र श्री श्याम लाल, निवासी जनपद-बरेली की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-10533/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-05-04-2024) दिनांक-16-04-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक कुमार पुत्र श्री श्याम लाल, मुडिया जगरूप, थाना-भुता, जनपद-बरेली का निवासी है। आपस में हुयी कहासुनी की रंजिश को लेकर दिनांक 19-03-2003 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक व तमंचा से गोली मारकर दिग्विजय व वीरपाल नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-437/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट सं0-03 बरेली के आदेश दिनांक 28-08-2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14-03-2016 बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.04.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 08 माह, 29 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 08 माह, 22 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना सें इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि आपस में हुयी कहासुनी की रंजिश को लेकर दिनांक 19-03-2003 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक व तमंचा से गोली मारकर दिग्विजय व वीरपाल नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने की सम्भावना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अशोक कुमार पुत्र श्री श्याम लाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार-2 जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक कुमार (बन्दी संख्या-716/10) पुत्र श्री श्याम लाल, निवासी जनपद-बरेली को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-80/2024/756(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट,बरेली।
2- अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार-2 जिला कारागार बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5-नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को रिट पिटीशन (क्रिमि0) सं0-134/2022 अशोक कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-80/2024/756/22-2-2024-17(113)/2022

दिनांक 13 अगस्त 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक कुमार पुत्र श्री श्याम लाल, मुडिया जगरूप, थाना-भुता, जनपद-बरेली का निवासी है। आपस में हुयी कहासुनी की रंजिश को लेकर दिनांक 19-03-2003 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक व तमंचा से गोली मारकर दिग्विजय व वीरपाल नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-437/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट सं0-03 बरेली के आदेश दिनांक 28-08-2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14-03-2016 बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.04.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 08 माह, 29 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 08 माह, 22 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना सें इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि आपस में हुयी कहासुनी की रंजिश को लेकर दिनांक 19-03-2003 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक व तमंचा से गोली मारकर दिग्विजय व वीरपाल नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने की सम्भावना होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अशोक कुमार पुत्र श्री श्याम लाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।